



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02062021-227333
CG-DL-E-02062021-227333

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1980]
No. 1980]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 2, 2021/ज्येष्ठ 12, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 2, 2021/JYAISHTHA 12, 1943

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2021

का.आ. 2134(अ).—राष्ट्रपति ने, संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड (3) के साथ पठित उक्त अनुच्छेद के खंड (1) के उपखंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दो सदस्यों के स्थानों को भरने के लिए, जो एक सदस्य की मृत्यु और दूसरे सदस्य के त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हो गए थे, राज्य सभा में दो सदस्यों के नाम नामनिर्दिष्ट किए हैं।

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 71 के अनुसरण में, राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट निम्नलिखित सदस्यों के नामों को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है :--

1. श्री महेश जेठमलानी
2. श्री स्वपन दासगुप्ता

[फा. सं. एच.11024/03/2020-वि. II]

डॉ. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd June, 2021

S.O. 2134(E).—Whereas the President, in exercise of the powers conferred by sub-clause (a) of clause (1) of article 80 of the Constitution of India, read with clause (3) of the said article, has nominated two members to the Council of States to fill the seats of two members which fell vacant due to the demise of one member and resignation of the other;

Now, therefore, in pursuance of section 71 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the names of the following members nominated by the President are hereby notified for general information :—

1. Shri Mahesh Jethmalani
2. Shri Swapan Dasgupta

[F. No. H.11024/03/2020-Leg.II]

Dr. REETA VASISHTA, Addl. Secy.